संख्या- 56 / 2019 / 59(वि0) / चार-2018

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक 10 मार्च, 2019**

विषय:- 'कबीरा' के आयोजन हेतु प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4431/सं0नि0-15(56)/2018-19 दिनांक 05 मार्च, 2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 'कबीरा' के आयोजन के सम्बन्ध में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त रू0 50.00 लाख (रूपये पचास लाख मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कराने तथा भौतिक सत्यापन समिति की रिपोर्ट शासन को अवलोकित कराने के उपरान्त ही, भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/ उपयोग नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा सम्पन्न कराये गये कार्यक्रमों पर व्यय विवरण, बिल बाउचर्स सहित उपलब्ध कराया जायेगा।

3- प्रस्तावित कार्यक्रम निदेशक, अयोध्या शोध संस्थान द्वारा कराया जाएगा एवं स्वीकृत धनराशि निदेशक, अयोध्या शोध संस्थान को उपलब्ध करायी जाएगी और निदेशक, अयोध्या शोध संस्थान द्वारा कराये गये कार्यक्रम का विवरण, व्यय का विवरण समस्त बिल बाउचर्स सहित कार्यक्रम के पश्चात निदेशक, संस्कृति निदेशालय को उपलब्ध कराया जाएगा।

4- उक्त धनराशि रू0 50.00 लाख (रूपये पचास लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92- के अधीन लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति- 102- कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन -07 कबीर अकादमी की स्थापना -20 सहायता अनुदान- सामान्य (गैर वेतन) मद में उपलब्ध धनराशि से वहन किया जायेगा।

भवदीय,
(जितेन्द्र कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या- 56 / 2019 / 59(वि0) / चार-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रयक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, अयोध्या शोध संस्थान, अयोध्या।
5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(जितेन्द्र कुमार)
प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/